न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
28 / 23	एफएसएस एक्ट, 2006	30 / 11 / 2023

1. विजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी करौली ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली।
–आवेदक

बनाम

1. दिनेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता उम्र 34 वर्ष जाति वैश्य निवासी पुराना बाजार गणेश मन्दिर के पास टोडाभीम मैसर्स – अग्रवाल स्वीट हाउस पुराना बाजार टोडाभीम ।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 04.09.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 17.08.2023 को समय 01:30 पी0एम पर मैसर्स – अग्रवाल स्वीट हाउस पुराना बाजार टोडाभीम पर पहुँचा। यहां दिनेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता उम्र 34 वर्ष जाति वैश्य निवासी पुराना बाजार गणेश मन्दिर के पास टोडाभीम की दुकान पर कलाकन्द मिठाई में से आम जनता को विक्रय करता हुआ मिला। आवेदक ने अपना परिचय दिया। स्टील की ट्रे में करीब 8 किलो कलाकन्द मिठाई मे से आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रय किये जाने वाले कलाकन्द मीठाई आदि को निरीक्षण किया। विक्रेता दिनेश चन्द्र गुप्ता से दुकान के मालिक के बारे मे पुछा तो उसने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया तथा दुकान में रखें खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई की जांच की तो आवेदक को मिलावट का शक हुआ। खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया। जो मौके पर दिखा दिया गया था। यह यह कि आवेदक ने दुकान के मालिक विक्रेता दिनेश चन्द्र गुप्ता को फार्म नं0 5 ए भरकर गवाहान श्री प्रदीप खण्डेलवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 45 गणेश गंज बाजार टोडाभीम एवं श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के हस्ताक्षरक करवाकर पढकर सुनाया कि आवेदक ने विक्रेता की दुकान में रखी कलाकन्द मिठाई का नमूना जांच वास्ते लेना चाहता हूँ। फार्म नं0 5 ए पर दुकान के मालिक व विक्रेता दिनेश चन्द्र गुप्ता के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति फार्म नं0 5 ए की विक्रेता श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता को दी। आवेदक ने विक्रेता से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो उन्होने मौके पर दिखाया। फार्म नं0 5 ए संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। यह है कि दुकान पर स्टील की ट्रे मे करीब 8 किलों कलाकन्द मिठाई में से 2 किलो कलाकन्द मिठाई को एक छोटी साफ सूखी खाली ट्रे में खरीदी जिसकी नगद 640 रू0 देकर खरीद रसीद प्राप्त की। जिस पर गवाह विक्रेता एवं आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर है। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खरीदे गये 2 किलो कलाकन्द मिठाई को छोटी ट्रे में कश करके एकजूट किया गया तथा प्लास्टिक की चार साफ सूखी खाली शिशियो में एकजूट कर बराबर–बराबर मात्रा में 500–500 ग्राम भरकर फार्मलिन की 40–40 बूंदे प्रत्येक शिशि में डालकर ढक्कन एयरटाईट किये गये तथा मौके पर आवेदक ने लेबल अभिहित अधिकारी का कोड नं0 ए.एल. 2258 दिनांक 17.08.2023 अंकित कर चार लेबल तैयार किये, लेबलों पर विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर कर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये वास्ते जांच नमूना हेतु लिये गये कलाकन्द मिठाई की शिशियों पर चिपकाये। प्रत्येक शिशि को अलग–अलग ब्राउन पेपर में लेपटकर सिरों को मोड़कर गोद से चिपकाया तथा अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप ए.एल. 2258 को नियमानुसार ऊपर से नीचे गोलाई मे गोद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूने को मोटे मजबूत धागे से बांधकर ऊपर नीचे अलग–अलग चार जगह आवेदक को प्रदत्त की गई ब्रास सील से सील मोहर किया गया। प्रत्येक नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर को कॉस करते हुए इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप और रेफर दोनों पर हस्ताक्षर आवे। चार नमूनों पर गवाहो के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् आवेदक ने प्रत्येक नमूने का विवरण व दिनांक लिखकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर कर नमूनें के चारो सील बन्द शिशियो को अपने जाप्ते में लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसे पढकर उस पर हस्ताक्षर किये तथा फर्द रिपोर्ट पर आवेदक द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं ।

आवेदक कार्यालय मे पहूँचकर फार्म नं0 6 की 6–6 प्रतियॉ तैयार की तथा प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सील लगाया जिससे नमूना शीशीयों को सील कर तैयार किया गया। एक सीलबन्द शीशी को फार्म नं0 6 की एक प्रति सहित आउटर कवर में लेपटकर सीलबंद व मोहर व पूर्ण विवरण अंकित कर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म नं 6 की दो प्रतियां एक लिफाफें में रखकर सील चपड़ी मोहर पर खाद्य विश्लेषक भरतपुर राजकीय कार्य दिवस 18.08.2023 को श्री विजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा के द्वारा जमा करवाया जिसकी जमा रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष सीलबन्द दो शीशीयों की फार्म नं0 6 की दो प्रतियों सहित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आउटर कवर में लपेटकर तथा नमूने का चौथा भाग फार्म नं0 6 की प्रति सहित सीलबन्द मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली को स्वयं ने दिनांक 17.08.2023 को जमा करवाकर जमा रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/3793 दिनांक 29.11.2023 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विशलेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/995 /एक्ट/2023/1039 दिनांक 25.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई का नमूना सबस्टैण्डर्ड प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विशलेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/995 /एक्ट/2023/1039 दिनांक 25.08.2023 के अनुसार विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्त्ता ने सबस्टैण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में मे निर्धारित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त एक गरीब दुकानदार है जिसने अपने परिवार के पालन पोषण के लिये अग्रवाल स्वीट्स हाउस के नाम से कलाकन्द मिठाई बनाने का कार्य शुरू ही किया था कि प्रार्थी को उक्त परिसर में श्री विजयसिंह दिनांक 17.08.2023 को पहुँच गये और उन्होंने अपने आप को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताते हुए अभियुक्त से दो किलो कलाकन्द मिठाई ले ली जिसका कोई भुगतान अभियुक्त को नहीं किया तथा प्रार्थी ने अभियुक्त को भयभीत कर कई खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये। अभियुक्त के सामने कोई सेम्पलिंग कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा उक्त हस्ताक्षरशुदा खाली कागजो को दुरूपयोग किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही गलत तरीके से की गई है, साथ ही वकील अभियुक्त ने अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने आवेदक की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न खाद्य विशलेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/995 /एक्ट/2023/1039 दिनांक 25.08.2023 अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है तथा आवेदक यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि में रेफरल प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 10000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...04.09.2024. को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि [illegible]मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला ...जस्ट्रेट
गंगापुर सिटी